

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 5, भाग 2
प्रपत्र संख्या 43ए (1)
(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिये)
धनराशि जमा करने का चालान फार्म

उपकोषागार/बैंक का नाम व शाखा

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया- शाखा औरैया।

1. जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो)या
संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही
है उसका नाम
2. पता

श्री ग्रीस कुमार वैश्य, जनपद न्यायाधीश, औरैया
जनपद न्यायालय औरैया।

3. पंजीकरण संख्या/पद का नाम व वाद संख्या
(यदि आवश्यक हो)

जनपद न्यायालय औरैया।

4. जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण
(धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है। तथा
किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है।)

राजकीय वाहन इनोवा वाहन सं०- यू०पी० 79 जी 0257 से
दि.01.06.24 से दि.04.06.24 में निजी कार्य से चली 564 किमी.
जिसमें 200 किमी० का लाभ न लेते हुए सम्पूर्ण 564 किमी०
का मुगतान रु 3.00 प्रति किमी० की दर
से कुल धनराशि 1692/- जमा करने हेतु

5. चालान की समस्त राशि
6. चालान की निश्चित राशि
7. लेखा शीर्षक का पूर्ण वितरण/लेखा
शीर्षक की मुहर
8. लेखा शीर्षक का 13 डिजिट कोड

0070-60-800-00
0070-60-800-00

मुख्य लेखा शीर्षक उप मुख्य लेखा शीर्षक

0 0 7 0

6 0

लघु शीर्षक

8 0 0

उप शीर्षक

0 0

व्योरेवार शीर्षक

0 0

धनराशि अंको में

Rs.1,692/-

Rs. 1,692/-

धनराशि शब्दों में-रुपये एक हजार छः सौ बानवे मात्र

योग-

Rs. 1,692/-

चालान में लेखा शीर्षक की पुष्टि करने वाले
विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

Distt. JUDGE
AURAIYA

जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

चालान संख्या


F 505886

केवल उपकोषागार/बैंक के प्रयोगार्थ

अंको में

दिनांक

शब्दों में रु०



प्राप्त किया
उपकोषागार/बैंक की मुहर